

पत्रांक - प्र० / यो० बजट-०५/२०१५, न०५८ (प्रटना, दिनांक - ३०/०५/२०१५  
सेवा में।

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

**विषय:-** राष्ट्रीय सम-विकास योजना के तहत संचरण/उप संचरण योजनाओं के चरण-II भाग-I के अन्तर्गत स्वीकृत 220 के०भी० बेगुसराय-पूर्णिया द्विपथीय 183 किलोमीटर संचरण लाइन के निर्माण के पुनरीक्षित लागत 97.21 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.00 करोड़ (दो करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंगो को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

**आदेश:** स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिंगो के अन्तर्गत बरौनी वाश्प भावित, बेगुसराय के जीर्णधार एवं 2x250 एम०भी०ए० का नये प्लाट लगाने का कार्य प्रगति पर है एवं पावर evacuation के लिए तथा उत्पादन इकाईयों के स्थायित्व के लिए 220 के०भी० बेगुसराय - पूर्णिया द्विपथीय संचरण लाइन का निर्माण अति आवश्यक हो गया है। राष्ट्रीय सम-विकास योजना के तहत बेगुसराय 220 के०भी० का ग्रिड सब-रेटेशन कार्यरत है। इस ग्रिड सब-स्टेशन को पावरग्रिड के 400 के०भी० पूर्णिया सब-स्टेशन से जोड़ा जाना है। ताकि उन क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

2. वित्तीय वर्ष 2005-06 में 220 के०भी० बेगुसराय - पूर्णिया द्विपथीय संचरण लाइन की स्वीकृति राष्ट्रीय सम-विकास योजना के तहत राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। संचरण लाइन का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ किया गया था परन्तु निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका था। वर्तमान में संचरण लाइन के निर्माण को पूरा करने के उद्देश्य से योजना की कुल लागत को पुनरीक्षित किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय सम-विकास योजना के तहत संचरण/उप संचरण योजनाओं के चरण-II भाग-I के अन्तर्गत स्वीकृत होनेवाले योजनाओं का कार्यान्वयन पावरग्रिड द्वारा सीधे पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड द्वारा किया जाना था तथा इसके लिए स्वीकृत राशि भारत सरकार कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड द्वारा इस कार्य हेतु 60.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंगो को उपलब्ध कराया गया है। चुंकी योजना की कुल लागत राशि रु० 97.21 करोड़ रुपये है इसलिए शेष 37.21 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

4. इसी आलोक में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम-विकास योजना के तहत संचरण/उप संचरण योजनाओं के चरण-II भाग-I के अन्तर्गत स्वीकृत 220 के०भी० बेगुसराय-पूर्णिया द्विपथीय 183 किलोमीटर संचरण लाइन के निर्माण के पुनरीक्षित लागत 97.21 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.00 करोड़ (दो करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंगो को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 4801-विजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-०५ संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-१९० सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-१० उपशीर्ष-०१०५ बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंगो की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6 इस राशि की निकासी अदर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग बिहार पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना द्वारा की जायगी।

7 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इरामों प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8 उक्त योजना को स्वीकृति देतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन सचिका संख्या— प्र० / यो० बजट-05/2015 के पृष्ठ संख्या 16/टि० पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।

9 राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या— प्र० / यो० बजट-05/2015 के पृष्ठ संख्या 18 /टि० पर दिनांक 23.08.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कागेश्वर शुक्ली)  
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापाक प्र० / यो० बजट-05/2015 १५१६ दिनांक ५३/०९/२०१५

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापाक प्र० / यो० बजट-05/2015 १५१६ दिनांक ५३/०९/२०१५

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप राशिय, शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, स्टेट पावर ट्रान्सफरेशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/BSPTCL-03/2017  
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सुपौल जिला के राघोपुर प्रखण्ड में एक नये  $3\times 50$  एम०भी०ए० क्षमता वाली  $132/33$  के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 68.43 करोड़ (अड़सठ करोड़ तैंतालीस लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि की 20% अर्थात् 13.69 करोड़ रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इविवटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 54.74 करोड़ रु० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 13.69 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

राज्य में बढ़ते हुए विद्युत मांग की पूर्ति हेतु संचरण लाइनों एवं ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। वर्तमान में सुपौल जिला के राघोपुर प्रखण्ड क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति ( $2\times 50+1\times 20$ ) एम०भी०ए० ग्रिड उपकेन्द्र कटैया से की जाती है, जो बढ़े हुए मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। फलस्वरूप, इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाती है। साथ ही लाइन की लम्बाई अधिक होने के कारण अधिक लाइन लॉस (Line loss) होता है और लो भोल्टेज (Low Voltage) की समस्या बनी रहती है। यदा-कदा ब्रेक-डाउन भी होते रहते हैं। अतः इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने के लिए सुपौल जिले के राघोपुर प्रखण्ड में  $3\times 50$  एम०भी०ए० क्षमता वाले  $132/33$  के०भी० ग्रिड उपकेन्द्र की स्थापना आवश्यक है। साथ ही इस नये ग्रिड उपकेन्द्र के समीप प्रस्तावित औद्योगिक कारखानों में भी विद्युत आपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है।

2. उक्त प्रस्तावित ग्रिड उपकेन्द्र तथा इससे सम्बद्ध संचरण लाइनों के निर्माण हेतु परियोजना की प्रावकलित राशि 68.43 करोड़ रुपये है। कुल राशि की 20% अर्थात् 13.69 करोड़ रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इविवटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 54.74 करोड़ रु० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया जाना है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सुपौल जिला के राघोपुर प्रखण्ड में एक नये  $3\times 50$  एम०भी०ए० क्षमता वाली  $132/33$  के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 68.43 करोड़ (अड़सठ करोड़ तैंतालीस लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि की 20% अर्थात् 13.69 करोड़ रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इविवटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 54.74 करोड़ रु० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 13.69 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-गिजली परियोजनाओं एवं गृहीणता परिव्यव-उप मुख्य शीर्ष-05 रांचरण तथा पितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष सटक योजना, उपशीर्ष-0101- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग की परियोजना, मांग रां-10, दिपत्र कोड- 10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय दर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलानीय होगा।

5. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा संचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के व्यवितरण लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंग लिंग, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।

6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसने प्राप्तिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिला संख्या-प्र०/BSPTCL-04/2016 के पृष्ठ संख्या-7/टिं पर दिनांक-18.07.2017 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक पित्तीद सलाहकार की सहगति संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-03/2017 पृष्ठ संख्या-10/टिं पर दिनांक-24.07.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

हो/-

(प्रत्यय अगृह्य)

सरकार के प्रधान सचिव।

झापांक-प्र०/BSPTCL-03/2017

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

सरकार के प्रधान सचिव।

झापांक-प्र०/BSPTCL-03/2017

/पटना, दिनांक- १५०८२०१७

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशासन विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर कम्पनी लिंगिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

GM(HR)

पटना, बिहार



पत्रांक-प्र02/BSPTCL-05/2015  
सेवा में  
जी. गोपीनाथ शर्मा  
13 SEP दिनांक:

5063/00D  
15/09/17

गहालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, दीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

बिहार रेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के अन्तर्गत राजधानी पटना एवं सभीपवर्ती क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकता के अनुरूप संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यरत 50 एम०भी०५० ट्रान्सफॉर्मरों को 80 एम०भी०५० क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मर से बदलने एवं 132 के०भी०५० संचरण लाइनों की वहन क्षमता में वृद्धि की 226.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये बिहार रेट पावर ट्रान्समिशन कंग लिंग को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के रानंध में।

### आदेश-रवीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या 2448 दिनांक 23.08.2015 के द्वारा बिहार रेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के अन्तर्गत राजधानी पटना एवं सभीपवर्ती क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकता के अनुरूप संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यरत 50 एम०भी०५० ट्रान्सफॉर्मरों को 80 एम०भी०५० क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मर से बदलने एवं 132 के०भी०५० संचरण लाइनों की वहन क्षमता में वृद्धि की 226.25 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 01.00 करोड़ रुपये बिहार रेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश राज्या 1975 दिनांक 21.08.2016 के द्वारा 100.00 करोड़ रुपये अर्थात् अद्वितीय कुल 101.00 करोड़ रुपये इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार रेट पावर ट्रान्समिशन कापनी लिंग को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार रेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग द्वारा 25.00 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार रेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के अन्तर्गत राजधानी पटना एवं सभीपवर्ती क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकता के अनुरूप संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यरत 50 एम०भी०५० ट्रान्सफॉर्मरों को 80 एम०भी०५० क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मर से बदलने एवं 132 के०भी०५० संचरण लाइनों की वहन क्षमता में वृद्धि की 226.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये बिहार रेट पावर ट्रान्समिशन कंग लिंग को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त राशि मुख्य शीर्ष-4801-विजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यव-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये दिशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101- बिहार रेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग की परियोजना, मांग सं-10, विपत्र कोड- 10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

15/09/2017  
5M  
22-09-17

AU.COH  
22/09/17

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-१२०-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-००४४-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लिंग, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-क-8448001200044 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०२/BSPTCL-०५/२०१५ के पृष्ठ संख्या-५/टिंग पर दिनांक-२२.०८.२०१५ को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय रालाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०२/BSPTCL-०५/२०१५ पृष्ठ संख्या-१४/टिंग पर दिनांक-२५.०८.२०१७ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह०/-  
(प्रत्यय अमृत)  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०२/BSPTCL-०५/२०१५ /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०२/BSPTCL-०५/२०१५ २४२५

/पटना, दिनांक- ११/०९/२०१८

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिंग/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र02 / बिरस्टेपा०ट्रां०ल०लि०-०२/२०१५  
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पठेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के अन्तर्गत 132/33 के ०भी० ग्रिड उपकेन्द्र करबिगहिया से गौरीचक तक द्विपरिषथ 132 के ०भी० ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण, गौरीचक LILO Point से गौरीचक ग्रिड तक रिकन्डक्टरिंग तथा करबिगहिया ग्रिड उपकेन्द्र में दो अद्द 132 के ०भी० हाइब्रिड 'बे' के निर्माण हेतु 42.26 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 12.00 करोड़ (बारह करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

ट्रिभुवन (एक द्वारा)  
११/१२  
विभागीय राज्यादेश संख्या 2447 दिनांक 23.08.2015 के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के अन्तर्गत 132/33 के ०भी० ग्रिड उपकेन्द्र करबिगहिया से गौरीचक तक द्विपरिषथ 132 के ०भी० ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण, गौरीचक LILO Point से गौरीचक ग्रिड तक रिकन्डक्टरिंग तथा करबिगहिया ग्रिड उपकेन्द्र में दो अद्द 132 के ०भी० हाइब्रिड 'बे' के निर्माण की 42.26 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 5.00 करोड़ (पाँच करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये 5.00 करोड़ के अतिरिक्त 12.00 करोड़ रुपये की नांग जी गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आजोक में दिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के अन्तर्गत 132/33 के ०भी० ग्रिड उपकेन्द्र करबिगहिया से गौरीचक तक द्विपरिषथ 132 के ०भी० ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण, गौरीचक LILO Point से गौरीचक ग्रिड तक रिकन्डक्टरिंग तथा करबिगहिया ग्रिड उपकेन्द्र में दो अद्द 132 के ०भी० हाइब्रिड 'बे' के निर्माण हेतु 42.26 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 12.00 करोड़ (बारह करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-विजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग की परियोजना, मांग सं-10, विपत्र कोड- 10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।



GM (F 8 A)

पटना, बिहार—  
13 SEP 2017

332/ND/14  
14.09.17

SM  
14.09.17  
AO, cash  
14.09

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-१२०-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-००४४-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंग लिंग, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-क-8448001200044 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र००२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०२/२०१५ के पृष्ठ संख्या-१०/टि० पर दिनांक-२२.०८.२०१५ को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र००२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०२/२०१५ पृष्ठ संख्या-१६/टि० पर दिनांक-३०.०८.२०१७ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
हो/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।  
/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-प्र००२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०२/२०१५

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-  
राज्यपाल के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र००२/बि०स्टे०पा०(हो०)क०लि०-०६/२०१४ के होने के लिए विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/उप (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक—प्र02 / वि0स्टे0पा0(हो0)कं0लि0—06 / 2014  
सेवा में,

पटना, दिनांक—

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

GM(F&A)



बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बैगूसराय—पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य ( $2 \times 160 + 2 \times 50$ ) एम0भी0ए0 क्षमता का  $220 / 132 / 33$  के0भी0 नये ग्रिड सब—स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

13/09/17 विभागीय राज्यादेश संख्या 987 दिनांक 25.03.2015 के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बैगूसराय—पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य ( $2 \times 160 + 2 \times 50$ ) एम0भी0ए0 क्षमता का  $220 / 132 / 33$  के0भी0 नये ग्रिड सब—स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यादेश संख्या 1947 दिनांक 09.07.2015 के द्वारा 25.00 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश संख्या 1823 दिनांक 06.06.2016 के द्वारा 50.00 करोड़ रुपये अर्थात् अवतक कुल 75.00 करोड़ रुपये इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा 10.00 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

3326/MDH/12

14.09.17

उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बैगूसराय—पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य ( $2 \times 160 + 2 \times 50$ ) एम0भी0ए0 क्षमता का  $220 / 132 / 33$  के0भी0 नये ग्रिड सब—स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने स्वीकृति प्रदान की जाती है।

345/6M(F&A)

18/09/17

उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801—विजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय—उप मुख्य शीर्ष—05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष—0101— बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, मांग सं0-10, विपत्र कोड— 10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401—निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

14/09/17

19.09.17

इस राशि की निकासी उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंधाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448—स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—120—अन्य निधियों, उपशीर्ष—0044—बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष—L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ—K-8448001200044 में जमा की जाएगी।

AO, CASH  
19/09/17

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन सचिका संख्या—प्र02/बिरस्टेटपा०(हो०)कं०लि०-०६/२०१४ के पृष्ठ संख्या-८/टि० पर दिनांक—२४.०३.२०१५ को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या—प्र02/बिरस्टेटपा०(हो०)कं०लि०-०६/२०१४ पृष्ठ संख्या-२३/टि० पर दिनांक—२९.०८.२०१७ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

/पटना, दिनांक—

ज्ञापांक—प्र02/बिरस्टेटपा०(हो०)कं०लि०-०६/२०१४

प्रतिलिपि—महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र02/बिरस्टेटपा०(हो०)कं०लि०-०६/२०१४ के ४३६/पटना, दिनांक— ११/०९/२०१७  
प्रतिलिपि—वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक - प्र02 / वि0स्टे0पा0ट्रा0कं0लि0-06 / 2014  
सेवा में,

पटना, दिनांक -

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

**विषय:-** बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य ( $2 \times 160 + 2 \times 50$ ) एम0भी0ए0 क्षमता का 220 / 132 / 33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

**आदेश:** स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य ( $2 \times 160 + 2 \times 50$ ) एम0भी0ए0 क्षमता का 220 / 132 / 33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण होने से उत्तरी एवं मध्य बिहार के वर्तमान एवं भविष्य में बढ़े हुए विद्युत मांग की पूर्ति तथा निकटवर्ती ग्रिड सब-स्टेशन में अतिरिक्त विद्युत माध्यम उपलब्ध कराने से गुणवत्तापूर्ण विजली उधित विद्युत विभाव के साथ उपलब्ध हो सकेगी।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 में विद्युत संचरण के क्षमता विस्तार, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध उपलब्धता हेतु 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) की लम्बाई ज्यादा होने के कारण इसका रख-रखाव एवं संचालन कठिन एवं अव्यवहारिक है। इसके स्थायित्व हेतु लाईन के मध्य ( $2 \times 160 + 2 \times 50$ ) एम0भी0ए0 क्षमता का 220 / 132 / 33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की आवश्यकता है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना की कुल लागत 106.09 करोड़ रुपये आकलित की गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य ( $2 \times 160 + 2 \times 50$ ) एम0भी0ए0 क्षमता का 220 / 132 / 33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश स0 987 दिनांक 25.03.2015 द्वारा प्रदान की गई थी परन्तु योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन संख्या 25 दिनांक-25.03.2015 द्वारा 2.7004 करोड़ (दो करोड़ सत्तर लाख चार हजार) रुपये विमुक्त नहीं गया था।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य ( $2 \times 160 + 2 \times 50$ ) एम0भी0ए0 क्षमता का 220 / 132 / 33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 4801-विजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिवाय-उमुख्यशीर्ष -05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष -190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0 -10 उप शीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिं0 की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिं0, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आईएफएससी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र02/वि0स्टे0पा0ट्रा0कं0लि0-06/2014 के पृष्ठ संख्या 08/टि0 पर दिनांक 24.03.2015 को प्राप्त है।

8. वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्गत आवंटन आदेश संख्या-२५, दिनांक २८.५.१५ को निरस्त किया जाता है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या- प्र02/वि0स्टे0पा0ट्रा0कं0लि0-06/2014 के पृष्ठ संख्या-13/टि0 पर दिनांक 08.07.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)  
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक - प्र02/वि0स्टे0पा0ट्रा0कं0लि0-06/2014

दिनांक

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक : प्र02/वि0स्टे0पा0ट्रा0कं0लि0-06/2014 (१५) पटना, दिनांक : ०९/०३/२०१५

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडग) कम्पनी लिं0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिं0, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार,  
कर्जा विभाग।

पत्रांक —

३०-२/वि.-३/2002 (पाटी)

दिनांक —

१५  
७०

सेवा में,

\*अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित।

महालेखाकार, बिहार,  
बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

द्वारा :

\*वित्त विभाग।

विषय—

वित्तीय वर्ष २००४-०५ में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही महात्मा गांधी सेतु पर १३२ के.मी. केबुल विछाने की योजना की ५०.९७८ करोड़ (पचास करोड़ सनतानबे लाख अरसी हजार) रुपये की पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु रु. १९,९७,८०,०००/- (उन्नीस करोड़ सनतानबे लाख अरसी हजार रुपये) व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष २००४-०५ में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही महात्मा गांधी सेतु पर १३२ के.मी. केबुल विछाने हेतु ५०.९७८ करोड़ (पचास करोड़ सनतानबे लाख अरसी हजार) रुपये की पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु रु. १९,९७,८०,०००/- (उन्नीस करोड़ सनतानबे लाख अरसी हजार रुपये) व्यय दी रखीकृत नियमित रार्ट पर प्रदान की है। पूर्व में इस हेतु २८.५८ करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई थी जिसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष २००१-०२ में २०.०० करोड़ रुपये एवं २००३-०४ में ११.०० करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

2. प्रशासी विभाग याद में राज्यपाल के परामर्शियों की बैठक में घटनोत्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलेख के माध्यम से उपरथापित करेगा एवं योजना प्राधिकृत संसिगति के परामर्श के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

3. इस योजना के अन्तर्गत नियमानुसार कार्य किया जाएगा :-

- (क) गायघाट के गहात्मा गांधी सेतु पर केबुल विछाकर हाजीपुर छोर में पहुँचाना।
- (ख) हाजीपुर छोर (तेरसीया नैदान) के पास से केबुल को संचरण लाईन के माध्यम से वर्तमान हाजीपुर ग्रिड से जोड़ना।
- (क) गायघाट ग्रिड में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु इसे संचरण लाईन के द्वारा फतुहा ग्रिड से जोड़ना।

4. यह राशि बजट शीर्ष ६८०१-विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-राज्य योजना-८००-विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज-०१०८-गंगा केबुल क्रॉसिंग ४०२००१०० विपत्र कोड संख्या पी.-६८०१००८०००१०८ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २००४-०५ के द्वितीय अनुपूरक में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. राशि का आवंटन एवं निकासी भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के उपर्युक्त ही की जाएगी। विद्युत बोर्ड को यह राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ-4-3881 दिनांक 07.07.89 के अनुसार पुराने बकाये ऋण एवं सूद मद में 25% की कटौती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थिति को देखते हुए नहीं करने की छूट प्रदान की जाती है।

ऋण की शर्तें निम्नप्रकार होंगे :-

- (क) ऋण का पुनर्भुगतान एवं सूद का भुगतान 10 (दस) बराबर वार्षिक किश्तों में होगा। इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारम्भ होगी।
- (ख) इस ऋण पर 13% की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (ग) समय पर भुगतान करने पर ब्याज में  $\frac{1}{4}$  प्रतिशत (चौथाई) की छूट होगी।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5% की दर से विलम्ब दण्ड सूद देय होगा।

6. इस राशि की निकासी गुण्डा विद्युत अभियन्ता दे सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा की जाएगी एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को बैंक ड्राफ्ट/बैंकसे ढंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

7. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

8. महालेखाकार बिहार से अनुरोध है कि रु.19,97,80,000/- (उन्नीस करोड़ सन्तानबे लाख अस्सी हजार रुपये) का प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
हो/-

(कुमारेश च० मिश्र)  
सरकार के सचिव।

झापांक - प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक - 31/3/05 /  
हो/-  
(कुमारेश च० मिश्र)  
सरकार के सचिव।

झापांक - 128 /  
प्रतिलिपि सदरय (वित्त), बिहार विद्युत बोर्ड, पटना/लेखा पदाधिकारी, बिहार विद्युत बोर्ड, पटना/मुख्य विद्युत अभियन्ता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/निबन्धक, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/गार्ड फाईल, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना/राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
31/3/05  
(कुमारेश च० मिश्र)  
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र02 / बि०स्टे०पा०द्वा०क०लि०-०४ / 2014  
सेवा में।

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

थिथः—

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के 17 अदद 132 के०भी० डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के०भी० लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः

स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा ऊर्जा की माँग/आवश्यकता में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज होने के अनुरूप विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्षमता विस्तार की जा रही है। इसी के तहत विद्युत संचरण के क्षमता विस्तार, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध उपलब्धता हेतु 132 के०भी० नई संचरण लाईनों की निर्माण की आवश्यकता है। परन्तु, नई लाईनों के निर्माण हेतु मार्ग अधिकार (ROW), प्राक्कलन राशि एवं समय की अधिकता को संज्ञान में लेते हुए मौजूदा डबल सर्किट टावर पर द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग का कार्य आवश्यक है। इसी आलोक में 17 अदद 132 के०भी० डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के०भी० लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या-5236 दिनांक 09.12.14 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदान की गयी है। राज्यादेश संख्या-1885 दिनांक 02.07.2015 द्वारा 25.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-1825 दिनांक 06.06.2016 द्वारा 50.00 करोड़ रुपये एवं राज्यादेश संख्या 3560, दिनांक 05.12.2016 के द्वारा 16.79 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 106.79 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये। कार्य प्रगति को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त 10.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के 17 अदद 132 के०भी० डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के०भी० लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों

में निवेश गांग सं0-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्सफर कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड-10-4801.05.190.0105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपर्युक्त राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना रो कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्सफर कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता(पी0 एल0 खाता) के गुण्य शीर्ष 8448-स्थानीय निवियों की जमा, उप गुण्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120 अन्य निवियाँ, उपशीर्ष-0044- बिहार स्टेट पावर ट्रान्सफर कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष एल0 8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-को-8448001200044, में जमा की जाएग।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्सफर कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0 एल0 खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु गत्रिपरिषद् का अनुमोदन संविका संख्या-प्र02 / बिरस्टेटपा0ट्रा0कं0लि0-04/2014 के बृद्ध संख्या 06/टि0 पर दिनांक 02.12.2014 को प्राप्त है।

B. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहगति संचिका संख्या-प्र02 / बिरस्टेटपा0ट्रा0कं0लि0-04/2014 के पृष्ठ राख्या-23/टि0 पर दिनांक-24.04.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

इ0/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव

दिनांक .....

ज्ञापांक प्र02 / बिरस्टेटपा0ट्रा0कं0लि0-04/2014

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

इ0/-

1350 सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र02 / बिरस्टेटपा0ट्रा0कं0लि0-04/2014, दिनांक 2 पृष्ठा 10।

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटीए ऐनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिमिटेड/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्सफर कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्सफर कम्पनी लिमिटेडको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र02 / BSPTCL-05 / 2014  
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

**विषय:** बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहाँ वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ (छ: सौ अड्सठ करोड़ बहतर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अतिरिक्त 6.2053 करोड़ (छ: करोड़ बीस लाख तिरेपन हजार) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृति।

विभागीय राज्यादेश सं0-5238 दिनांक-09.12.2014 के द्वारा बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहाँ वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ (छ: सौ अड्सठ करोड़ बहतर लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रूपये वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यादेश सं0-1778 दिनांक 25.06.2015 के द्वारा 60.00 करोड़ रूपये तथा राज्यादेश सं0-1904 दिनांक-07.07.2015 के द्वारा 100.00 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश सं0-1974 दिनांक-21.06.2016 के द्वारा 100.00 करोड़ रूपये तथा राज्यादेश सं0-3558 दिनांक-05.12.2016 के द्वारा 50.00 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यादेश सं0-1351 दिनांक-24.04.2017 के द्वारा 100.00 करोड़ रूपये तथा राज्यादेश सं0-722 दिनांक-07.03.2018 के द्वारा 4.05 करोड़ रूपये अर्थात् कुल 514.05 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध करायी गई है। इस योजना के त्वरित गति से किये जा रहे कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये कुल 514.05 करोड़ रूपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10.00 करोड़ रूपये की मांग की गई है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहाँ वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ (छ: सौ अड्सठ करोड़ बहतर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अतिरिक्त 6.2053 करोड़ (छ: करोड़ बीस लाख तिरेपन हजार) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों में निवेश, उपशीर्ष-0111- बिहार स्टेट पावर (हो) कम्पनी लि0 की परियोजना, मौग सं0-10, विपत्र कोड-10-4801051900111 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के व्यवितरण लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियों, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-क-8448001200044 में जमा की जाएगी।

10

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-  
प्र02/BSPTCL-05/2014 के पृष्ठ संख्या-6/टि० पर दिनांक-02.12.2014 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-  
प्र02/BSPTCL-05/2014 पृष्ठ संख्या-43/टि० पर दिनांक-23.03.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यवाल के आदेश से

60/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/BSPTCL-05/2014

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु देंगित।

60/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/BSPTCL-05/2014 ७७५

/पटना, दिनांक- २४/०३/२०१४

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों ने), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर (हॉलिडंग) कम्पनी लि०/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/जुड़नहाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु देंगित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार  
उर्जा विभाग

प्रांक- ब02/BSPTCL-01/2014

पटना, दिनांक -

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरवन्द पठेल गार्म, पटना।

विषय:-

बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहाँ वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 कॉम्पी० क्षमता वाली (ए०आ०५० एस०) ग्रिड सब-स्टेशन एवं रांदंधित संचारण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रुपये की रवीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के रांदंध में।

आवेदन:

रवीकृत।

बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहाँ वर्तमान में कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्गम लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना की जाय। केंद्रीय विद्युत प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत जर्द के मुद्राबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का शीर्ष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तापित ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड पलो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामग्रे आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए०आ०५० एस० नोड में बनाने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रथम चरण में इन 14 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड निर्माण की योजना है। विवरणी निम्न प्रकार है :-

जिला	राजस्व अनुमंडल	क्षमता (ए०आ०५० एस०)	मोल्टेज लेवल (कॉम्पी०)
मधुबनी	झंझारपुर	2x10	132/33
	बलिया	2x10	132/33
बेगुसराय	भंडौल	2x10	132/33
	दखरी	2x20	132/33
रुपील	बीबेणीगंज	2x10	132/33
	निर्मली	2x20	132/33
दरभंगा	हेनीपुर	2x10	132/33
सीतामढी	बेलसंड	2x10	132/33
पू० धम्पारण	पकड़ी दयाल	2x20	132/33
	चकिया	2x20	132/33
सनस्तीपुर	शाहपुर पटौरी	2x20	132/33
नूरगंगा	बननंखी	2x20	132/33
भोजपुर	पीरो	2x20	132/33
कटीहार	मनीहारी	2x20	132/33

इस योजना की कुल लागत 555.90 करोड़ रुपये आकलित की गयी।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 उपराज्य अनुमंडल, जहाँ वर्तमान में कोई ग्रिड शब्द-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के 0भी० क्षमता वाली (ए०आई०एस०) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु योजना की स्थीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या 840 दिनांक 24.02.2014 द्वारा 10.00 करोड़ (दश करोड़ रुपये) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-2304 दिनांक 07.07.2014 द्वारा 10.00 करोड़ रूपये एवं राज्यादेश संख्या-3079 दिनांक 23.08.2014 द्वारा 30.00 करोड़ रूपये बिहार रेटेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग को उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यादेश संख्या-1777 दिनांक 25.06.2015 द्वारा 70.00 करोड़ रूपये, राज्यादेश संख्या-1921 दिनांक-08.07.15 द्वारा 125.00 करोड़ रूपये एवं राज्यादेश संख्या-1591, दिनांक 17.05.2016 के द्वारा 70.00 करोड़ रूपये उपलब्ध करायी गयी है। पूर्व में उपलब्ध करायी गई कुल राशि 315.00 करोड़ रूपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल 100.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 उपराज्य अनुमंडल, जहाँ वर्तमान में कोई ग्रिड शब्द-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के 0भी० क्षमता वाली (ए०आई०एस०) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रूपये की रवीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100.00 करोड़ (एक लाख करोड़) रूपये बिहार रेटेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग को उपलब्ध कराने की स्थीकृति प्रदान की जाती है।

5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष 05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश गांग रो-10 उपशीर्ष-0105 बिहार रेटेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग की परियोजना विषय कोड- 10-4801.05.190.0105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी प्रशास्त्रा-पदाधिकारी-राह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊजां विभाग, बिहार पटना के द्वारा संविधालय कोषागार, सिंचाई गवन, पटना से कर बिहार रेटेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग के व्यक्तिगत लेखा खाता(पी० एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियों, उपशीर्ष 0044-बिहार रेटेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग, व्यय शीर्ष एल० 8448001200044 एवं प्राप्तियों-को०-8448001200044 में जमा की जाएगी।

7. बिहार रेटेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

8. वित्त विभाग के परिचय संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आपश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्थीकृति हेतु गत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या प्र०२/BSPTCL-०१/२०१४ के पृष्ठ संख्या-४/टिंग पर दिनांक 18.02.2014 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या- प्र०२/BSPTCL-०१/२०१४ के पृष्ठ संख्या-४१/टिंग पर दिनांक-24.04.2017 को ग्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

रु०/-  
(प्रत्यय अमृत)  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र02 / BSPTCL-01 / 2014

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/नहालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र02 / BSPTCL-01 / 2014 | २५८

पटना, दिनांक ३१/८/२०१७

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—सह—निकारी एवं व्यवन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों ने), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय रालाइकार, ऊर्जा विभाग/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक, बिहार रेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिंग/प्रबन्ध निदेशक, बिहार रेट पावर ट्रान्समिशन लम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबन्धक वित्त एवं लेखा, बिहार रेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक- प्र02/BSPTCL-01/2014

पटना, दिनांक -

वेता विभाग  
द्वारा  
नीपथारिक  
लप से  
रशमर्शित।

विषय:

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहाँ वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के ०भी० क्षमता वाली (ए०आई०एस०) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिं० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहाँ वर्तमान में कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना की जाय। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत सर्वे के मुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का शीर्ष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+५०० मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड फलो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। अतः इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए०आई०एस० मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है। निर्माणाधीन ग्रिड की क्षमता का निर्धारण उस ग्रिड के लोड के आधार पर किया गया है।

2. प्रथम चरण में इन 14 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड निर्माण की योजना है। विवरणी निम्न प्रकार है :-

जिला	राजस्व अनुमंडल	क्षमता (ए०भी०ए०)	भौल्टेज लेवल (के०भी०)
मधुबनी	झंजारपुर	2x10	132/33
बेगुसराय	बलिया	2x10	132/33
	मंडील	2x10	132/33
	बखरी	2x20	132/33
सुपील	त्रीयणीगंज	2x10	132/33
	निमेली	2x20	132/33
दरभंगा	बैनीपुर	2x10	132/33
सीतामढी	बेलसर्ड	2x10	132/33
पू० चम्पारण	पकड़ी दयाल	2x20	132/33
	चकिया	2x20	132/33
समस्तीपुर	शाहपुर पटौरी	2x20	132/33
पूर्णिया	बनमंखी	2x20	132/33
मोजपुर	पीरो	2x20	132/33
कटीहार	मनीहारी	2x20	132/33

इस योजना की कुल लागत 555.90 करोड़ रुपये आवकलित की गयी है।

भौल्टेज  
०पृष्ठा १५

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के 0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रु. की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंगो को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंगो की परियोजना विषय कोड- P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपर्युक्त राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंगो, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आई0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिंगो को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 386 दिनांक 20.02.2014 द्वारा जाहनति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग  
दिनांक .....

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL-01/2014

प्रतिलिपि :- कोषागार प्राधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक २५/२/१५

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL-01/2014 ८५०

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध लिमिटेड/वरीय प्रबन्धक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
M.J. M.

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

राजीव प्रबन्धक (जीन प्रबन्धक)

मिस्टर राजीव प्रबन्धक एवं 6

राजीव प्रबन्धक



पत्रांक - प्र02 / विभिन्न प्राप्ति (हो) क०-38/2013  
सेवा में

वित्त विभाग  
द्वारा  
अन्तर्गत  
रुपये  
प्राप्ति विषय:-

प्रियोगिता  
क्रमांक  
आदेश

गठना, दिनांक -

गहालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विहार स्टेट पावर ट्रान्सफार्मर कम्पनी लिमिटेड, पटना की संचरण-प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के 48 नं० पावर ट्रान्सफार्मर का तेल बदलना एवं इनका ओमर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 5 करोड़ रुपये विहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

स्वीकृत।

2. विभिन्न क्षमता के पावर ट्रान्सफार्मर के संरक्षण एवं रख-रखाद हेतु दोनों अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुछ पावर ट्रान्सफार्मर में ट्रान्सफार्मर ऑफल की स्थिति बहुत खराब है जिसके चलते तेल का ब्रेक डाउन भोलटेज बहुत कम हो गया है तथा ट्रान्सफार्मर के प्रतिरोधक क्षमता का छाप हुआ है। फलस्वरूप, पावर ट्रान्सफार्मर अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भार बहन करने में सहाय नहीं है। शायद ही कुछ ट्रान्सफार्मर में इनके कमिशन के पश्चात् अभी तक भी नहीं बदला जा सका है।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल 48 नं० पावर ट्रान्सफार्मर के जीवन एवं क्षमता वृद्धि करने हेतु ट्रान्सफार्मर के आगर होलिंग के दरम्यान 1000 किमी० ट्रान्सफार्मर तेल की आवश्यकता है।

2. विहार स्टेट पावर ट्रान्सफार्मर कम्पनी लिमिटेड, पटना के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के 48 नं० पावर ट्रान्सफार्मर का तेल बदलना एवं ओवर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 5 करोड़ रुपये विहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में 5 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में 7.08 करोड़ रुपये।

दिनांक 03.07.2013 को जर्जा विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर आयोजित विभागीय स्थादी विभिन्न क्षमता के 48 नं० पावर ट्रान्सफार्मर का तेल बदलना एवं इनका ओमर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 5 करोड़ रुपये विहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. राज्य सरकार द्वारा विहार स्टेट पावर ट्रान्सफार्मर कम्पनी लिमिटेड, पटना की संचरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के 48 नं० पावर ट्रान्सफार्मर का तेल बदलना एवं इनका ओमर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 5 करोड़ रुपये विहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकार द्वारा विहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड के विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत रवीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्णभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार वैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देव होगा।
- (घ) संगव पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से पिलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् पिलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

कृपया

(ङ.) सामय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

6. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को कर्ज उपशीर्ष-0109- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिं0 की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0-10-विपत्र कोड पी0 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN -0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारबाई प्रारम्भ की जा रही है।

9. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं0 निर्धारित ऋण की शर्तों के साथ उक्त राशि 5 (पाँच) करोड़ रु0 विभिन्न क्षमता के 48 नं0 पावर ट्रान्सफार्मर का तेल बदलना एवं इनका औभर होलिंग कराने की योजना के कार्यान्वयन हेतु 5 (पाँच) करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्सफार्मर कम्पनी लिं0 को उपलब्ध करायेंगी।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओआर0 संख्या 1284 दिनांक 30.07.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

( शम्भु नाथ मिश्र )

विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक .....

ज्ञापांक प्र02/बिठेटपा0(हो0)क0-38/2013

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

( शम्भु नाथ मिश्र )

विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बिठेटपा0(हो0)क0-38/2013 505& दिनांक 28/10/13

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिं0, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिं0, पटना/ आध्यका-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं0/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कर्पोरेशन लिं0/ उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित।

( शम्भु नाथ मिश्र )  
विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग

अधिकारी-प्रभ-प्रबंध निदेशक  
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कर्पोरेशन  
मुख्य विभाग पटना

6  
8  
15/10/2013

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र02 / बिहार सरकार ऊर्जा विभाग  
सेवा में।

वेता विभाग  
द्वारा  
मनोपचारिक  
रूप से  
प्राप्तमंत्रित।



महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 की संचरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रक कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की 76.825 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को 25.00 करोड़ रुपये ऋण के रूप स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत संचरण क्षमता के विस्तार की महत्ती योजना कार्यान्वयित की जा रही है। योजनाओं के कार्यान्वयन में कई उपकरण यथा ट्रांसफार्मर, कंट्रोल रीले पैनल, ब्रेकर इत्यादित उपकेन्द्रों में प्रस्थापित किए जाने हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की योजना बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 20 उपकेन्द्रों का आधुनिकरण एवं जीर्णोद्धार (असैनिक कार्यों को छोड़कर) करने की भी योजना प्रस्तावित है। इन मूल्यवान उपकरणों प्रस्थापित करने, सुरक्षित संचालन एवं सुरक्षा हेतु उपकेन्द्र अवस्थित कुछ महत्वपूर्ण असैनिक व यथा आंतरिक संडक, नियंत्रण कक्ष भवन, चहारदीवारी इत्यादि का समुचित सुदृढ़ होना अनिवार्य है। बहुत सारे वर्तमान ग्रिड उपकेन्द्र करीब 35/40 वर्ष पूर्व निर्मित हैं जिनकी असैनिक मरम्मत सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार अत्यावश्यक है।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा इस योजना के अन्तर्गत नियंत्रक कक्ष मरम्मती, आवासीय भवन मरम्मती, विश्राम गृह मरम्मती, पहुँचपथ मरम्मती, पेयजल निस्सारण व्यवस्था, चहारदीवारी मरम्मती कार्य, कार्यालय मरम्मती, स्वीचयार्ड का विकास विजाना है। इस योजना की कुल लागत 76.825 करोड़ रु0 आकलित की गई है। योजनान्तर्गत सभी कार्य दो चरणों में कराया जाना है। प्रथम चरण में ग्रिड उपकेन्द्र स्थित नियंत्रक कक्ष भवन, पहुँचपथ, विश्राम गृह, चहारदीवारी इत्यादि के मरम्मति के कार्य किये जायेंगे। द्वितीय चरण में उपरोक्त वर्णित कार्यों को छोड़कर ग्रिड उपकेन्द्रों के परिसर में अवस्थित आवासीय एवं इससे संबंधित कार्य कराए जायेंगे।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 की संचरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की 76.825 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को 25.00 करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजना के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्णभुगतान की शर्तों की स्वीकृति ग्रन्थि प्रकार प्रदान की गई है :—

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली वीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायत ऋण निकासी की रिथि से एक रात बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंशुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
- (ङ.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की रिथति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801—बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज—उप मुख्य शीर्ष—00—लघु शीर्ष—190—सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को कर्ज उपशीर्ष—0109—बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं०—10—विषय कोड पी० 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अधिग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013—14 उपबंधित राशि से विकलानीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अधिगता के राचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के बालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी० कोड SBTN —0000153 में आर0टी०जी०एरा०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० द्वारा राशि द्वारा रेटेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कार्रवाई प्रारम्भ की जारी है।

9. चित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिका पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. रखीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 रांख्या 1220, दिनांक 16.07.2013 द्वारा सहगति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

( शम्मु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक \_\_\_\_\_

ज्ञापांक प्र02/विरस्टेटपा०(हो०)क० लि०—40 / 2013

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर राचिव, ऊर्जा विभाग

-3-

शापांक प्र02 / बिरस्टेपा०(हो०)कं० लि०-४० / २०१३ ३७७३

दिनांक २२/७/१

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा / क्रण एवं राजसव शाखा, वित्त वि  
षय / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), वि  
भाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / आई०टी० मैनेजर, वि  
भाग, पटना / अध्यक्ष-सुह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट यात्रा (होल्डिंग) कम्पनी लि० /  
निदेशक, बिहार स्टेट यावर ट्रासमिशन कम्पनी लि० / मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट  
(होल्डिंग) कम्पनी लि० / वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट यावर (होल्डिंग) कम्पनी  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
( शम्भु नाथ मिश्र )  
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

34.प्र०(पत्र) ६३६३  
22.07.13

वित्त विभाग  
द्वारा  
अनीगचारिक  
रूप से  
प्रसारित।

पत्रांक - प्र००२/बिस्टेपा०(हो०)क० लि०-४१/२०१३  
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरधन्द पटेल गार्ग, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के करबिगड़िया ताप विद्युत परिसर की सौन्दर्यता एवं पर्यावरण में वृद्धि हेतु परिसर में पार्क के निर्माण की 27.31 करोड़ रुपये की योजना की रवीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 27.31 करोड़ रुपये को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के करबिगड़िया ताप विद्युत परिसर के बगल में वाणक्य विधि महाविधालय, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जैसे बिहार के प्रतिष्ठित संस्थान बहुत ही सुन्दर परिसर में अपरिस्थित हैं। पुराने पड़े ताप विद्युत गृह के चलते इस क्षेत्र की सौन्दर्यता एवं वातावरण दोनों प्रभावित हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह गत गठित हुआ कि परिसर में एक ऐसे उद्यान की स्थापना की जाय जो ताप विद्युत संयंत्र को यथावत पुरानी धरोहर के रूप में संरक्षित करे तथा पार्क के निर्माण होने से पर्यावरण को फायदा हो सके।

2. उक्त परिसर के खाली पड़े क्षेत्र में नार्क के निर्माण से सौन्दर्यता एवं पर्यावरण में वृद्धि होगी एवं ताप विद्युत संयंत्र को पुरानी धरोहर के रूप में संरक्षित किया जायेगा। पुराने कुलिंग टावर, चिमनी तथा पुराने कारखाने से संबंधित रोड को दर्शनीय रूप दिया जायेगा।

3. इस योजना के अन्तर्गत परिसर संतालीकरण, पहुँच गथ का निर्माण, विशेष प्रकाश की व्यवस्था बागवानी पार्क में बैठने की व्यवस्था वार दिवारी का निर्माण, एक छोटा जल विद्युत उत्पादन मॉडल आदि कार्य किये जायेंगे। इस योजना का प्राक्कलन वास्तुविद गैरार्ड कांगूर एण्ड एसोसियेट्स द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया है। कुल प्राक्कलित राशि-27.31 करोड़ रुपये आकृलित हैं।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के करबिगड़िया ताप विद्युत परिसर की सौन्दर्यता एवं पर्यावरण में वृद्धि हेतु परिसर में पार्क के निर्माण की 27.31 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 27.31 करोड़ रुपये को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्णभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

- (क) ऋण एवं राशि की वसूली बोस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

कृ०प००

A.C.(L)  
A.C.(L)

Half (३०७५)  
23/7/13

- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।  
 (ड.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की बसूली कर सकेगी।

6. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801-विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को कर्ज उपशीर्ष-0109- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0-10-विपत्र कोड पी० 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि होल्डिंग कम्पनी द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू०आर० संख्या 1222 दिनांक 16.07.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह०/-

( शम्भु नाथ मिश्र )  
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक - प्र02 / बि०स्ट०पा०(हो०)क० लि०-41 / 2013 पटना, दिनांक -  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग  
ज्ञापांक - प्र02 / बि०स्ट०पा०(हो०)क० लि०-41 / 2013 ३७६८ पटना, दिनांक - २२/७/१३  
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा / ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० / मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० / वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग



मंत्र विभाग  
द्वारा  
नीपवारिक  
रूप से  
सामर्थित।  
विषय:-  
मोटर वाहन  
मुक्ति  
में लिया गया।

पत्रांक - प्र02 / बि0स्टेपा0(हो)कं-39 / 2013  
सेवा में,

पटना, दिनांक -

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के ग्रिड उपकेन्द्रों के उपस्करण आदि के टेस्टिंग हेतु रु0 6.26 करोड़ मूल्य के विशेष प्रकार के टेस्टिंग इक्यूपमेंट्स को खरीदने की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 6.26 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत विभिन्न ग्रिड उपकेन्द्रों के उचित

रख-रखाव, प्रीवेंटिव मैटिनेंस, उपस्करणों की जाँच, ब्रेकडाउन होने पर फॉल्ट के जगह का निर्धारण आदि हेतु विशेष प्रकार के टेस्टिंग इक्यूपमेंट की आवश्यकता है। इनके उपलब्ध होने पर ग्रिड उपकेन्द्रों के अर्थें, उपस्करणों की जाँच, सुरक्षा उपकरणों वथा रिले आदि की टेस्टिंग एवं एडजस्टमेंट, जम्पर तथा उपस्करणों के गर्म स्थानों को घिन्हित करना, ब्रेकडाउन होने पर फॉल्ट के जगह का त्वरित निर्धारण कर के बाधित विद्युत आपूर्ति को शीघ्र चालू करने में आसानी होगी।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के ग्रिड उपकेन्द्रों के उपस्करण आदि के टेस्टिंग हेतु आवश्यक टेस्टिंग उपकरण के खरीद की योजना की कुल लागत 6.25 करोड़ रुपये आकलित की गई है।

3. दिनांक 02.07.2013 को ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के ग्रिड उपकेन्द्रों के उपस्करण आदि के टेस्टिंग हेतु रु0 6.26 करोड़ मूल्य के विशेष प्रकार के टेस्टिंग इक्यूपमेंट्स को खरीदने की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 6.26 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. राज्य सरकार द्वारा द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के ग्रिड उपकेन्द्रों के उपस्करण आदि के टेस्टिंग हेतु रु0 6.26 करोड़ मूल्य के विशेष प्रकार के टेस्टिंग इक्यूपमेंट्स को खरीदने की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 6.26 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्णभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किस्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।

(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

(ड.) समय पर किस्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/समिक्षा की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

कृपया

मुख्य शीर्ष 6801-विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष 6801-लघु शीर्ष-190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को कर्ज उपशीर्ष-0109- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिंग की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं-10-विपत्र कोड पी० 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आईएफसी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

9. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग निर्धारित ऋण की शर्तों के साथ उक्त राशि 6.25 करोड़ रु० ग्रिड उपकरणों के उपस्कर्तों आदि के विशेष प्रकार के टेस्टिंग इक्यूपमेंट्स को खरीदने की योजना के कार्यान्वयन हेतु 6.25 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिंग को उपलब्ध करायेगी।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०आ०आर० संख्या 1202 दिनांक 11.07.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

( शम्मु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग  
दिनांक .....

ज्ञापांक प्र०२/बिठ०स्ट०पा०(हो०)क०-३९/२०१३

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

( शम्मु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग  
दिनांक २५/७/१३

ज्ञापांक प्र०२/बिठ०स्ट०पा०(हो०)क०-३९/२०१३

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग; पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिंग, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिंग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग/मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( शम्मु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

(+) १

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र०२/बिस्ट०पा०(हो)क० लि०-२६/२०१३  
वित्त विभाग  
द्वारा  
अनौपचारिक  
रूप से  
प्राप्तिक्रिया, विषय:  
प्रधानमंत्री शक्ति प्राप्ति (Power Transfer  
Authority) का अधिकारी, वित्त विभाग  
आदेश:

पटना, दिनांक -

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी कम्पनी के विद्युत संचरण प्रणाली के पुराने 14 ग्रिड उपकेन्द्रों हेतु कुल 17 पावर ट्रान्सफॉर्मरों का क्रय कर कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20 (बीस) करोड़ रुपये ऋण के रूप में बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

स्वीकृत।

राज्य के वितरण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु वितरण अवरोधों को घिन्हित किया गया हैं संचरण स्तर पर इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। सहमति बनी है कि संचरण प्रणाली की क्षमता विस्तार की समतुल्य होनी चाहिए। अतः घिन्हित ग्रिड उपकेन्द्रों यथा बोधगया, बिहारशरीफ, बेगुसराय, फतुहों, सीतामढ़ी, सबौर, गोपालगंज, बैतिया, सहरसा, समस्तीपुर, छपरा, जबकनपुर (पटना), आरा में क्षमता विस्तार कर संचरण अवरोधों को दूर करना है।

2. राज्य के संचरण व्यवस्था के सुदृढ़िकरण हेतु बिहारशरीफ एवं बोधगया 220 के ०भी० ग्रिड उपकेन्द्रों में एक-एक नया 150 एम०भी०ए० का ट्रान्सफॉर्मर लगाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बेगुसराय एवं फतुहा 220 के ०भी० ग्रिड उपकेन्द्रों में एक-एक नया अतिरिक्त 100 एम०भी०ए० एवं सबौर और सीतामढ़ी 132/33 के ०भी० ग्रिड उपकेन्द्र में 13 अतिरिक्त 50 एम०भी०ए० का ट्रान्सफॉर्मर लगाकर क्षमता विस्तार किया जाना है। इस योजना की कुल लागत 49.04 करोड़ रुपये हैं एवं कार्यान्वयन की समय सीमा 2 वर्ष है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी कम्पनी के विद्युत संचरण प्रणाली के पुराने 14 ग्रिड उपकेन्द्रों हेतु कुल 17 पावर ट्रान्सफॉर्मरों का क्रय कर क्षमता विस्तार की 49.04 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20 (बीस) करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी कम्पनी के विद्युत संचरण प्रणाली के पुराने 14 ग्रिड उपकेन्द्रों हेतु कुल 17 पावर ट्रान्सफॉर्मरों का क्रय कर क्षमता विस्तार की 49.04 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20 (बीस) करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्णमुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार वैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13. प्रतिशत होगी।
- (ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार किसी सहायता/सञ्चिदी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

कृ०पृष्ठ०

४८७३ S/o Rabindra  
द्वारा

6. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को कर्ज उपशीर्ष-0109- बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कंपनी लि० की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0-10-विपत्र कोड पी० 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत क्षेत्रीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN -0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० राशि प्राप्त होने के उपरान्त 20.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करा देगी।

9. कि विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संचारण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

10. कि विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राज्यादेश में कि विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या-1054 दिनांक 18.06.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

विभार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

( शम्मु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बिरस्टेटपा०(हो०)क० लि०-26/2013 दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

( शम्मु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बिरस्टेटपा०(हो०)क० लि०-26/2013 3430 दिनांक 1/7/13

प्रतिलिपि :- कि विभाग, बजट शाखा / ऋण एवं राजस्व शाखा, कि विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / अईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० / प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लि० / मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० / उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( शम्मु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

प्रबन्ध निदेशक

स्टेट सेट ट्रान्सफर नं. ५५४२

संप्रिण्ड गति ५५४२

4600/CMO  
22/05/13

CE (Taw)  
DGM (Taw)

(22) (4)

D (E)  
MD (Taw)  
CE (Rdg), CE (Taw)  
FC (Exb) →  
(cont. Cont.) 3/4 (H)

✓ विहार सरकार  
कर्जा विभाग

पटना, दिनांक -



विभाग  
द्वारा  
विधायिक  
रूप से  
प्रमाणित।

पत्रांक - प्र02 / बिहार सरकार कर्जा विभाग  
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० के अनुसांगी कम्पनी के पन्द्रह पुराने ग्रीड सब-स्टेशनों के जीर्णोद्धार की 887.95 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु 487.95 (चार करोड़ सतासी लाख पनचानवे हजार) लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० को ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० के अनुसांगी कम्पनी बिहार स्टेट पावर द्रान्तमिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 83 ग्रीड सब-स्टेशनों में से 44 ग्रीड सब-स्टेशन बहुत ही पुराने हैं। इन ग्रीड सब-स्टेशनों में से तत्काल 15 ग्रीड सब-स्टेशनों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई; 15 ग्रीड सब-स्टेशनों में से 7 ग्रीड सब-स्टेशन यथा सीतामढ़ी, सीबान, हाजीपुर, छपड़ा, रामनगर, मोतीहारी एवं पंडील मुजफ्फरपुर संचरण जोन के अन्तर्गत हैं, तथा 8 ग्रीड सब-स्टेशन यथा खगौल, गायधाट, हाथीदाह, राजगीर, सोननगर, कर्मनशा, चंदौती एवं जड़ाताबाद पटना संचरण जोन के अन्तर्गत हैं।

2. बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० के अनुसांगी कम्पनी के पन्द्रह पुराने ग्रीड सब-स्टेशनों के जीर्णोद्धार की योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० द्वारा कुल अनुमानित लागत 887.95 लाख रुपये आकलित की गई है।

3. दिनांक 10.04.2013 को कर्जा विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर आयोजित विभागीय स्थायी नित समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० के अनुसांगी कम्पनी के पन्द्रह पुराने ग्रीड सब-स्टेशनों के जीर्णोद्धार की 887.95 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु 487.95 (चार करोड़ सतासी लाख पनचानवे हजार) लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० के अनुसांगी कम्पनी के पन्द्रह पुराने ग्रीड सब-स्टेशनों के जीर्णोद्धार की 887.95 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु 487.95 (चार करोड़ सतासी लाख पनचानवे हजार) लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्णभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से ग्राहन होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

कृ०प०३०

1827/07/2013  
कर्जा विभाग  
173/5/2013 (३)  
28/5/13

-2-

- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।  
 (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक को दर से विलंब नंड  
शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।  
 (ङ.) समय पर किशत का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार  
वित्तीय सहायता/संबिंदी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर  
सकेगी।

6. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801-बिहाली परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष-00-लधु  
शीर्ष-190-रार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को कर्ज उपशीर्ष-0109- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग)  
कम्पनी लिंग की परियोजनाओं हेतु अण राज्य योजना मांग सं-10-विपत्र कोड पी० 6801001900109  
विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अप्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपवंशित राशि से विकलनीय  
होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार,  
पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक,  
सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को भारतीय  
स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाला संख्या 10839114909 एवं आइएफओरी०  
कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक द्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित  
प्रावधानों के आलोक गे ऋण फंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारबाई प्रारम्भ की जा रही है।

9. वित्त विभाग के परिषत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र  
की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग के य०ओ०आर० संख्या 825 दिनांक 15.04.2013 द्वारा सहमति  
प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग  
दिनांक

शापांक प्र०२/वि०स्टेपा०(हो०)क० लि०-१९/२०१३

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग  
दिनांक २१/५/१३

शापांक प्र०२/वि०स्टेपा०(हो०)क० लि०-१९/२०१३ २६६२

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट  
शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा  
(योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर  
(होल्डिंग) कम्पनी लिंग/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग, पटना को  
सूचनार्थ। वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्शानुसार प्रश्नगत ऋण दायित्व सम्बंधित द्रान्सगिशन कम्पनी  
को हस्तांतरित करने के आलोक आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित।

( शम्भु नाथ मिश्र )  
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

MO (Tawar)

३१

विभाग द्वारा सेवा में  
अचारिक रूप  
परामर्शित।

294

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

पटना जिला के बिहटा में 2x150 एवं 2x50 एम०भी०ए० क्षमता का 220/132/33 के०भी० नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़ रुपये) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

पटना के पश्चिमी क्षेत्र में नये प्रतिष्ठानों की स्थापना (आई०आई०टी०, एन०आई०टी०, अन्य ईक्षणिक संस्थान, बड़ा अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान) के चलते विद्युत माँग में अत्यधिक वृद्धि होगी, जिसे वहन करने में कार्यरत ग्रिड सक्षम नहीं है। वर्ष 2007 में चालू किया गया बिहटा 132/33 के०भी० ग्रिड उपकेन्द्र अधिक लोड वहन करने में असमर्थ है अन्य ग्रिड यथा खगौल इत्यादि भी full load पर चल रहा है। अतः बिहटा में 220/132/33 के०भी० का नया ग्रिड निर्माण (संबंधित संचरण एवं डाउनलिकिंग लाइन सहित) का कार्यान्वयन आवश्यक है।

2. राज्य की राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित होने वाले प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक विद्युत माँग को पूरा करने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिहटा में 220/132/33 के०भी० नया ग्रिड लेवल (क्षमता-2X150 एम०भी०ए० 220/132 के०भी० लेवल पर एवं 2X50 एम०भी०ए० 132/33 के०भी० लेवल (क्षमता-2X150 एम०भी०ए० 220/132 के०भी० लेवल पर एवं 2X50 एम०भी०ए० 132/33 के०भी० लेवल पर) तथा इससे संबंधित संचरण एवं डाउनलिकिंग लाइन के निर्माण की योजना बनाई गई है। योजना की कुल लागत 99.65 करोड़ रुपये मात्र आकलित की गई है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्यादेश की संख्या-1034 दिनांक 22.02.2013 द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 5 करोड़ रुपये ऋण के संख्या-2946 दिनांक 05.06.2013 द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराये गये हैं।

3. पटना जिला के बिहटा में 2x150 एवं 2x50 एम०भी०ए० क्षमता का 220/132/33 के०भी० नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़ रुपये) रुपये, ऋण, के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुरुषभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
- (ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता / सविस्ती की राशि से अतिदेय / देय राशि की वसूली कर सकेगी।

5. राशि गुरुद्या शीर्ष-6801-विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज़ उप-मुख्य शीर्ष-00-लक्ष्य शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपलब्धों को कर्ज उपशीर्ष-0112- बिहार स्टेट पावर द्रान्समिशन लिंग की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग रां-10-विषय कोड 6801001900112 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं आग्रह के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष 2013-14 में उपवायित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता द्वे सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय, शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर द्रान्समिशन कम्पनी लिंग, पटना को केनरा बैंक, साउथ गांधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0362101042062 आइ0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 गें R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संचारण की कारबाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी चलिक रीधे बिहार स्टेट पावर द्रान्समिशन कंपनी लिंग को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0 ओ0 आर0 संख्या 150 दिनांक 22.01.2014 द्वारा सहगति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)  
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग  
दिनांक .....

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध-15/2012

प्रतिलिपि:- कोषागार प्राधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग  
दिनांक 21/2/15

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध-15/2012 794

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिंग/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर द्रान्समिशन कम्पनी लिंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित।

21/2/15

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र02/बोर्ड विविध-15/2012

पटना, दिनांक -

दारा  
गणिक रूप  
रामर्शित।  
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

पटना जिला के बिहार में  $2 \times 150$  एवं  $2 \times 50$  एम०भी०ए० क्षमता का  $220/132/33$  के०भी० नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिंकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 20 करोड़ (बीस करोड़) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

स्वीकृत।

पटना के पश्चिमी क्षेत्र में नये प्रतिष्ठानों की रथापना (आई०आई०टी०, एन०आई०टी०, अन्य शैक्षणिक संस्थान, बड़ा अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान) के चलते विद्युत मांग में अत्यधिक वृद्धि होगी, जिसे वहन करने में कार्यरत ग्रिड रास्त महीने है। वर्ष 2007 में चालू किया गया बिहार 132/33 के०भी० ग्रिड उपकेन्द्र अधिक लोड वहन करने में असमर्थ हैं अन्य ग्रिड यथा खगौल इत्यादि भी full load पर चल रहा है। अतः बिहार में  $220/132/33$  के०भी० का नया ग्रिड निर्माण (संबंधित संचरण एवं डाउनलिंकिंग लाइन सहित) का कार्यान्वयन आवश्यक है।

2. राज्य की राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित होने वाले प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक विद्युत मांग को पूरा करने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिहार में  $220/132/33$  के०भी० नया ग्रिड (क्षमता  $2 \times 150$  एम०भी०ए०  $220/132$  के०भी० लेवल पर एवं  $2 \times 50$  एम०भी०ए०  $132/33$  के०भी० लेवल पर) तथा इससे रांभंधित संचरण एवं डाउनलिंकिंग लाइन के निर्माण की योजना बनाई गई है। योजना की कुल लागत 99.65 करोड़ रुपये मात्र आकलित की गई है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्यादेश संख्या-1034 दिनांक 22.02.2013 द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 5 करोड़ रुपये ऋण के रूप में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराये गये हैं।

3. पटना जिला के बिहार में  $2 \times 150$  एवं  $2 \times 50$  एम०भी०ए० क्षमता का  $220/132/33$  के०भी० नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिंकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 20 करोड़ (बीस करोड़) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्णभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।

(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

(ज) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/समिक्षा की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।



220/132  
001/DMR/216  
10/6/13 2786/SM(5)  
12/6/13

C.M.  
8/6/13

R.D.P.

115

A.O. 216  
R.B. 216

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801-विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष-00-  
शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को कर्ज उपशीर्ष-0109- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिंग की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना गांग रा०-10-विपत्र कोड पी० 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अधिग्रंथ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी गुरुव्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस० / इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग द्वारा यह राशि योजना कार्यान्वयन हेतु अविलम्ब बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी को हस्तानान्तरित कर दी जायेगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०आर० संख्या 954 दिनांक 23.05.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक \_\_\_\_\_

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-15/2012

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-15/2012 १९५६

दिनांक .....५/८/१३.....

प्रतिलिपि :— वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजसव शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० गैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग/प्रबन्ध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिंग, पटना/प्रबन्ध निदेशक, सुरुथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिंग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१९५६

( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

1034  
22.02.11

वित्त विभाग  
द्वारा  
अन्यौपचारिक  
रूप से  
प्राप्त किया गया।

पत्रांक - प्र०२ / बोर्ड विविध - १५ / २०१२  
सेवा में

विषय:-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना जिला के बिहटा में  $2 \times 150$  एवं  $2 \times 50$  एम०भी०ए० क्षमता का  $220 / 132 / 33$  के०भी० नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं. को 5 करोड़ (पाँच करोड़) रुपये क्रण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

स्वीकृत।

पटना के पश्चिमी क्षेत्र में नये प्रतिष्ठानों की स्थापना (आई०आई०टी०, एन०आई०टी०, अन्य शैक्षणिक संस्थान, बड़ा अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान) के चलते विद्युत मांग में अत्यधिक वृद्धि होगी, जिसे वहन करने में कार्यरत ग्रिड सक्षम नहीं है। वर्ष 2007 में चालू किया गया बिहटा 132 / 33 के०भी० ग्रिड उपकेन्द्र अधिक लोड वहन करने में असमर्थ है अन्य ग्रिड यथा खगील छत्यादि भी full load पर चल रहा है। अतः बिहटा में  $220 / 132 / 33$  के०भी० का नया ग्रिड निर्माण (संबंधित संचरण एवं डाउनलिकिंग लाइन सहित) का कार्यान्वयन आवश्यक है।

2. राज्य की राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित होने वाले प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक विद्युत मांग को पूरा करने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिहटा में  $220 / 132 / 33$  के०भी० नया ग्रिड (प्र०००२२०१५० एम०भी०ए० २२० / १३२ के०भी० लोड तर एवं २५० एम०भी०ए० १३२ / ३३ के०भी० लेवल पर) तथा इससे संबंधित संचरण एवं डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण की योजना बनाई गई है। योजना की कुल लागत 99.65 करोड़ रुपये मात्र आकलित की गई है।

3. उक्त आलोक में पटना जिला के बिहटा में  $2 \times 150$  एवं  $2 \times 50$  एम०भी०ए० क्षमता का  $220 / 132 / 33$  के०भी० नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं. को 5 करोड़ (पाँच करोड़) रुपये क्रण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं. को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले क्रण के पुर्वभुगतान की शर्तों की स्वीकृति प्रकार प्रदान की गई है:-

- (क) क्रण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी क्रण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
- (ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

5. यह राशि बजट शीर्ष खंड-II-8000 आकस्मिकता निधि मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को कर्ज उपशीर्ष-0109- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिं. की परियोजनाओं हेतु क्रण राज्य योजना मांग सं-10-विपत्र कोड पी० 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 क्रण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 449,58,96,000.00 (धारा सौ उनचास करोड़ अनढावन लाख छियानवें हजार) रुपये दिनांक १५.०२.२०१२ के लिए बिहार आकस्मिकता निधि ते अप्रिन के रूप में राज्यादेश संख्या-542 दिनांक १५.०२.२०१२ द्वारा स्वीकृत राशि से लिकानीय होता।

४५८८८

४५८८८



6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के संविव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के हारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इराका मुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के हारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं. ०८५३१४९०९ भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के घालू खाता संख्या 10839114909 और आईएफसी० कोड SBIN -0000153 में आरटीजीएस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के हारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश ४३० दिनांक ०५.०६.२००६ एवं ७१९ दिनांक ०१.०९.२०११ में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र रांख्या ७३५५ दिनांक ०५.१०.२००७ के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यपाल में वित्त विभाग के यूआर० संख्या ३५१ दिनांक ११.०२.२०१३ हारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह०/-

( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग  
दिनांक .....

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-१५/२०१२

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय ऊर्जागार, सिंचाई भवन, पटना को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-१५/२०१२ / ०३६

दिनांक ...../...../.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा / ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतिशों में), पटना / आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं०/० मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं०/०प लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१३-  
( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग



वित्त विभाग  
द्वारा  
अनौपचारिक  
रूप से  
प्राप्तिशील।

पत्रांक - प्र02 / बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 - 08 / 2013  
सेवा में,

पटना, दिनांक + 11.04.2013

विषय:-

11911/MO/K  
20.3.13

आदेश:

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 के अनुसंगी कम्पनीयों के सिवान, नवादा एवं जमालपुर ग्रिड सब-स्टेशनों में 3 अद्द 50 एम0भी0ए0 132/33 के0भी0 पावर ट्रान्सफार्मर लगाकर क्षमता विस्तार के लिए 7.92 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1.92 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।

स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 की समीक्षात्मक बैठक एवं मासिक विडियो कनफ्रेन्सीग में संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा जिलों में निरन्तर विद्युत मांग की बढ़ोत्तरी के कारण इन जिलों में स्थापित ग्रिड सब-स्टेशनों की क्षमता विस्तार करने का सुझाव दिया गया है। नवादा एवं सिवान जिला में वर्तमान में  $2 \times 20$  एम0भी0ए0 क्षमता वाली एक ही ग्रिड स्थापित है तथा मुंगेर जिला में  $1 \times 20 + 1 \times 50$  एम0भी0ए0 क्षमता वाली एक ही ग्रिड सब-स्टेशन जमालपुर में स्थापित है एवं रेलवे एवं अन्य अद्यौगिक ईकाईयों के लिए विद्युत मांग अधिक है। अतः इन तीनों ग्रिड सब-स्टेशनों का क्षमता विस्तार आवश्यक है। क्षमता विस्तार के बाद नवादा एवं सिवान ग्रिड की वर्तमान क्षमता 40 एम0भी0ए0 से बढ़कर 70 एम0भी0ए0 हो जाएगी एवं जमालपुर ग्रिड सब-स्टेशन की वर्तमान क्षमता 70 एम0भी0ए0 से बढ़कर 100 एम0भी0ए0 हो जाएगी। इन तीनों ग्रिड सब-स्टेशन में कार्यरत 20 एम0भी0ए0 ट्रान्सफार्मर को हटाकर अन्यत्र दूसरे ग्रिड सब-स्टेशन में ऊर्जान्वित कर उन ग्रिड सब-स्टेशनों का क्षमता विस्तार किया जाएगा।

2. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 के अनुसंगी कम्पनीयों के सिवान, नवादा एवं जमालपुर ग्रिड सब-स्टेशनों में 3 अद्द 50 एम0भी0ए0 132/33 के0भी0 पावर ट्रान्सफार्मर लगाकर क्षमता विस्तार के लिए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को राज्य योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्यादेश संख्या 1624 दिनांक 19.03.2013 द्वारा 6.00 (छ.) करोड़ रुपये क्रण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1.92 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को क्रण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले क्रण के पुर्णभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

- (क) क्रण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी क्रण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार ब्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
- (ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

कृपयोग

A.O.(Poddar)  
2/3/13

S/2/21 Sri Robin  
2/3/13

4. यह राशि बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 6801-विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप शीर्ष-00-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक दोत्र के तथा अन्य उपकरणों को कर्ज उपशीर्ष-0109- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिंग की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0-10-विपत्र कोड पी0 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अप्रिग के अन्तर्गत 304,37,09,000 (तीन सौ चार करोड़ सौ तीस लाख नौ हजार) रुपये वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मूल बजट में स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका मुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के बालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइएफ0सी0 कोड SBIN -0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

6. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग राशि प्राप्त होने के उपरान्त 1.92 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लिंग को उपलब्ध करा देगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 1163 दिनांक 04.07.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बिरटेपा0(हो0)कं0 लिंग-08/2013

दिनांक .....

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बिरटेपा0(हो0)कं0 लिंग-08/2013 3707

दिनांक 17/7/13

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा / ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग / प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लिंग / मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग / उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

1624  
13.03.2013

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र02 / विभागीय प्राप्ति/प्राप्ति/प्राप्ति को लिए 08/2013

पटना, दिनांक -

विभाग  
द्वारा  
अनौपचारिक  
रूप से  
प्राप्ति।

विषय:-

महालेखाकार (लेखा एवं डक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल नाम, पटना।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग के अनुसंधी कम्पनीयों के सिवान नवादा एवं जमालपुर ग्रिड सब-स्टेशनों में 3 अद्द 50 एम०भी०५० 132/33 के०भी० पावर ट्रान्सफारमर लगाकर क्षमता विस्तार के लिए 7.92 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में 6.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग की समीक्षात्मक बैठक एवं मासिक विडियो कन्फेन्सीम में संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा जिलों में निरन्तर विद्युत नाम की बढ़ोत्तरी के कारण इन जिलों में स्थापित ग्रिड सब-स्टेशनों की क्षमता विस्तार करने का सुझाव दिया गया है। नवादा एवं सिवान जिला में वर्तमान में 2X20 एम०भी०५० क्षमता याली-एक ही ग्रिड सब-स्टेशन में स्थापित है तथा नगोर जिला में 1X20 + 1X50 एम०भी०५० क्षमता याली एक ही ग्रिड सब-स्टेशन जमालपुर में स्थापित है तुरं रेलवे एवं अन्य अर्द्धाधिक इंकार्डियों के लिए विद्युत नाम अधिक है। अतः इन तीनों ग्रिड सब-स्टेशनों का क्षमता विस्तार आवश्यक है। क्षमता विस्तार के बाद नवादा एवं सिवान ग्रिड की वर्तमान क्षमता 40 एम०भी०५० से बढ़कर 70 एम०भी०५० हो जाएगी एवं जमालपुर ग्रिड सब-स्टेशन की वर्तमान क्षमता 70 एम०भी०५० से बढ़कर 100 एम०भी०५० हो जाएगी; इन तीनों ग्रिड सब-स्टेशन में कार्यरत 20 एम०भी०५० ट्रान्सफार्मर वाले हटाकर अन्यत्र दूसरे ग्रिड सब-स्टेशन में ऊर्जान्वयन कर उन ग्रिड सब-स्टेशनों का क्षमता विस्तार किया जाएगा।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग के अनुसंधी कम्पनीयों के सिवान, नवादा एवं जमालपुर ग्रिड सब-स्टेशनों में 3 अद्द 50 एम०भी०५० 132/33 के०भी० पावर ट्रान्सफारमर लगाकर क्षमता विस्तार के लिए 7.92 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में 6.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुनर्गुणतान की द्वार्ता की स्वीकृति विस्तृत प्रकार प्रदान की गई है :-

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली यीस दरों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी। ऋण निकासी की लिंग से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि द्वारा ब्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक व्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत दार्जित दरी दर से विहृत होने वाला होगा। अतः योजना विस्तृत रूप से विहृत होने वाली होगी।
- (ङ) नमूद विवरण द्वारा भुगतान नहीं किया जाने वाली विवरण द्वारा दराया दराया दिया जाएगा। योजना विस्तृत रूप से विहृत होने वाली होगी।

5. यह राशि बजट शीर्ष लंग-II-8000 आकस्मिकता निधि मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष-00-लघु ईर्ष-150-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य संपर्कमों को कर्ज उपशीर्ष-0109- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं0 को परियोजनाओं हेतु अण राज्य योजना मांग रं0-10-विष्व कोड पी0 6801001900109 विष्व शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 449,58,96,000.00 (चार सौ उनचास करोड़ अनठावन लाख छियानवें हजार) रुपये विशीर वर्ष 2012-13 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के लिए में राज्यादेश संख्या-542 दिनांक- 01.02.2013 द्वारा स्वीकृत राशि से विकलनीद होगा।

6. इस राशि के निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावेशिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 0839114909 एवं आईएफसी० कोड SBIN -0000153 में आरटी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. विल विनामीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक ने अण गजी विभागीय रातर पर संव्यारग की कारबाई प्रारम्भ दी जा रही है।

8. विल विनाग के परिष्वत संख्या 7356 दिनांक 06.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकरण बत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में विल विभाग के आरटी०आर० संख्या 616 दिनांक 11.03.2013 द्वारा जहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

60/-

( नारेन्द्र कुमार सिंह )  
उप सचिव, ऊर्जा विभाग

जापांक ५०२ / विभागीय ०३/लिं० लिं०-०३ / 2013 दिनांक .....  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु ब्रेपित।

60/-

( नारेन्द्र कुमार सिंह )  
उप सचिव, ऊर्जा विभाग

जापांक ५०२ / विभागीय ०३/लिं० लिं०-०३ / 2013 1624 दिनांक 19/३/१३  
प्रतिलिपि :- दिल विभाग, बजट शाखा / अण एवं राजस्व शाखा, विल विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत अनियता के सचिव (प्रावेशिक), ऊर्जा विभाग, पटना / लेख शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन ग्रतियों में), पटना / आईएफसी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निवेशक बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं० / मुख्य अनियता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं० / उप लेखा निवेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु ब्रेपित।

( नारेन्द्र कुमार सिंह )  
उप सचिव, ऊर्जा विभाग

पटना, दिनांक -

वित्त विभाग  
द्वारा  
अनौपचारिक  
रूप से  
प्राप्तमरिता। विषयः

MJ/Treas  
Lmt. Secy  
T-5 #0 CMD

पत्रांक -प्र2/बोर्ड-विविध-17/2012  
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, बीरबन्द पटेल मार्ग, पटना।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के 132/33 के 0भी० ग्रिड सब-स्टेशन सीतामढी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में एक-एक अतिरिक्त 33 के०भी० ट्रांसफॉर्मर "बे" का निर्माण एवं अन्य 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों यथा सोननगर में 2 अदद, जयनगर में 1 अदद, फुलपरास में 1 अदद एवं बिहटा में 1 अदद कुल पॉच 33 के०भी० लाईन "बे" के निर्माण की कुल 3.70 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 1.70 करोड़ (एक करोड़ सत्तर लाख) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः

राज्य के सीतामढी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में कार्यरत 132/33 के०भी० ग्रिड उपकेन्द्र में स्थापित ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में विस्तार आवश्यक है। इन सभी उपकेन्द्रों में 50

एम०भी०५० क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये जाने की योजना है। ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था पावर ग्रिड के माध्यम से राष्ट्रीय सम विकास योजना में की जा रही है। इनके प्रतिष्ठापन

हेतु 33 के०भी० ट्रांसफॉर्मर "बे" का निर्माण आवश्यक है। अन्य 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों यथा सोननगर में 2 अदद, जयनगर में 1 अदद, फुलपरास में 1 अदद एवं बिहटा में

1 अदद कुल पॉच 33 के०भी० लाईन "बे" बनाने की योजना है। इस प्रकार 33 के०भी० ट्रांसफॉर्मर

"बे" पॉच अदद एवं 33 के०भी० लाईन "बे" पॉच अदद का निर्माण किया जाना है। बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत

3.70 करोड़ रुपये आकलित की गई है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के उपर्युक्त उल्लेखित 132/33 के०भी० 5 ग्रिड सब-स्टेशन में एक-एक अतिरिक्त 33 के०भी० ट्रांसफॉर्मर "बे" का निर्माण एवं पॉच 33 के०भी० लाईन "बे" के निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्यादेश संख्या 3117 दिनांक 23.07.2012 द्वारा 2.00 करोड़ (दो करोड़) रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1.70 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्णभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।

(ख) एक वर्ष में देय राशि चार वैमासिक किश्तों में देय होगी।

(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

(ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

2464/DGH/13  
31/01/13

A. (E)  
A. 10/13

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-उप शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष-0104-बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को परियोजनाओं हेतु ऋण, माँग सं0-10-विपत्र कोड पी0 6801007890104 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि 57,97,54,000.00 (सन्तावन करोड़ सन्तानवे लाख चौवन हजार) से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आईएफओसी० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

6. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग राशि प्राप्त होने के उपरान्त 1.70 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लिंग को उपलब्ध करा देगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू०ओ०आर० संख्या 1247 दिनांक 19.07.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

( शम्मु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र२/बोर्ड-विविध-17/2012

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

( शम्मु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 26/7/13

ज्ञापांक प्र२/बोर्ड-विविध-17/2012 3893

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लिंग/मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( शम्मु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

MJ(Tanu)



बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पटना, दिनांक

वित्त विभाग  
द्वारा  
अनीपचारिक  
स्वप्न से  
प्रभावित।

पत्रांक - प्र२ / बोर्ड - विविध - १८/२०१२  
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

७३/१३०१८  
००९८८४५  
८३३ को C.M.D.

आदेश:

सीतामढी, बिहार, खगौल, आरा एवं नवादा में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के १३२/३३ को०भी० ग्रिड सब-स्टेशन में अतिरिक्त १३२ को०भी० ट्रान्सफॉर्मर "बे" के निर्माण की कुल ५.०० करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को २.०० करोड़ (दो करोड़) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

स्वीकृत।

राज्य में विद्युत मांग में निरंतर बढ़ोतरी के चलते बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के स्थापित ट्रान्सफॉर्मर की क्षमता में विस्तार आवश्यक है। इन सभी उपकरणों में ५० एम०भी०ए० क्षमता माध्यम से राष्ट्रीय सम विकास योजना में की जा रही है। इनके प्रतिष्ठापन हेतु १३२ को०भी० के पाँच अद्द ट्रान्सफॉर्मर "बे" का निर्माण आवश्यक है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत ५.०० करोड़ रुपये आकलित की गई है।

२. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा सीतामढी, बिहार, खगौल, आरा एवं नवादा में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के १३२/३३ को०भी० ग्रिड सब-स्टेशन में अतिरिक्त १३२ को०भी० ट्रान्सफॉर्मर "बे" के निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में राज्यादेश संख्या-३११८ दिनांक २३.०७.२०१२ द्वारा तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ३.०० करोड़ (तीन करोड़) रुपये स्वीकृत की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में २.०० करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

३. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्णभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली वीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर १०.५ प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर २.५ प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर १३ प्रतिशत होगी।
- (इ.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

कृ०पृ०७०

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जा-उप-मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष-0104- बिहार रटेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को परियोजनाओं हेतु ऋण, माँग सं०-१०-विपत्र कोड पी० 6801007890104 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि 57,97,54,000.00 (सन्तानवन करोड़ सन्तानवे लाख चौवन हजार) से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकारी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सविवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सविवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सविवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आई०एफ०री० कोड SBIN -0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

6. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० राशि प्राप्त होने के उपरान्त 2.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करा देगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत्यादेश ने वित्त विभाग के थू०ओ०आर० संख्या 1246 दिनांक 19.07.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

₹०/-

( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड-विविध-१८/२०१२

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सविवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹०/-

( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड-विविध-१८/२०१२ ३४९५

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा/ वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबन्ध निदेशक, बिहार रटेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०/मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( शम्भु नाथ मिश्र )

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

१०८५